



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223860
CG-DL-E-22122020-223860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4077]
No. 4077]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4640(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश का.आ. संख्यांक 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 का ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

उक्त आदेश के पैरा 1 में “सत्रह वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर “उन्नीस वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जैड-20018/1/99-सीपीए]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्यांक 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005, का.आ. संख्यांक 253(अ), तारीख 19 फरवरी, 2007, का.आ. संख्यांक 1539(अ), तारीख 24 जून, 2008, का.आ. संख्यांक 3303(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2009, का.आ. संख्यांक 2866(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2011, का.आ. संख्यांक 3822(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2013, का.आ. संख्यांक 3553(अ), तारीख

30 दिसंबर, 2015, का.आ. संख्यांक 36(अ), तारीख 4 जनवरी, 2017 तथा का.आ. संख्यांक 6314(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2018 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, S.O. 489 (E), dated the 30th April, 2003, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for the words “for a period of seventeen years and eight months”, the words “for a period of nineteen years and eight months” shall be substituted.

[F. No. Z-20018/1/99-CPA]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 56(E), dated the 14th January, 2005, S.O. 253(E), dated the 19th February, 2007, S.O. 1539(E), dated the 24th June, 2008, S.O. 3303(E), dated the 29th December, 2009, S.O. 2866(E), dated the 27th December, 2011, S.O. 3822(E), dated the 27th December, 2013, S.O. 3553(E), dated the 30th December, 2015, S.O. 36 (E), dated the 4th January, 2017 and S.O. 6314 (E), dated the 26th December, 2018.